



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-27052026-272904
CG-AP-E-27052026-272904

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2571]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2026/ज्येष्ठ 5, 1948

No. 2571]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/JYAISTHA 5, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

गुंटूर, 26 मई, 2026

का.आ. 2663(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा "मेसर्स श्री सिमेंट लिमिटेड को प्रस्तावित साइडिंग कनेक्टिविटी-जो गुंटूर (जीएनटी)-नडिकुडि (एनडीकेडी) सेक्शन पर तुम्मलचेरुवु (टीएमएलयू) और नडिकुडि (एनडीकेडी) स्टेशनों के बीच तुम्मलचेरुवु (टीएमएलयू) स्टेशन द्वारा सेवा प्रदान की जाती है- को आंध्र प्रदेश राज्य के पलनाडु जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु एक विशेष रेलवे परियोजना के रूप में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित करती है.

[फा.सं. सं.जीएनटी/डब्ल्यू.277/भूमि/ई-राजपत्र/श्री सिमेंट्स]

सुदेशना सेन, मंरेप्र

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Guntur, the 26th May, 2026

S.O. 2663(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies “Proposed Siding Connectivity to M/s. Shree Cement Ltd., served by Tummalacheruvu (TMLU) station on GUNTUR(GNT)–NADIKUDI(NDKD) section between Tummalacheruvu (TMLU) and Nadikudi (NDKD) stations” as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Palnadu with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No.: No.GNT/W.277/Land/E-Gazette/ Sree Cements]

SUDESHNA SEN, DRM